अनुसूचित जनजातियों में सामाजिक–शैक्षिक परिवर्तन के नए आयाम (उत्तर प्रदेश के संदर्भ में)

–सुनीता देवी* एवं डॉ. योगेन्द्रप्रसाद त्रिपाठी**

*शोधछात्रा–समाजशास्त्र

डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

**प्रोफेसर : समाजशास्त्र विभाग

का.सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या

सारांश

भारत में जनजातियों का समुचित विस्तार देखने को मिलता है। इनको क्षेत्रीय विषमताओं तथा सांस्कृतिक विलक्षणताओं के कारण अलग–अलग नामों से जाना जाता है, जैसे– जनजाति, आदिम जाति, वन्य जाति, जंगली जाति आदि। डॉ0 घुरिये ने तो इन्हें 'पिछड़े हिन्दू' कहा है।

जब कुछ विशेष जनजातियों को संविधान की अनुसूचि में शामिल कर दिया गया तो उन्हें 'अनुसूचित जनजाति' के नाम से जाना जाने लगा। भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 104545716 है जो कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। जबकि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में से 1134273 अनुसूचित जनजातियाँ है जो कुल जनसंख्या का 0.6 प्रतिशत ही है। उ0प्र0 की अनूसूचित जनजातियों में पिछले कुछ दशक में सामाजिक–शैक्षिक परिवर्तन देखने को मिले हैं जिनके कुछ नए आयाम हैं। जिसे इस शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों द्वारा आँकड़े एकत्रित कर प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द : जनजाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक परिवर्तन, शैक्षिक परिवर्तन, जनजातीय संगठन, गैर–सरकारी संगठन, सरकारी संगठन, सामाजिक समस्या, शैक्षिक समस्या।

प्रस्तावना :–

भारत जैसे विशाल भू–खण्ड पर जनजातियों की जनसंख्या भिन्न–भिन्न राज्यों में भिन्न–भिन्न है। जनजाति के लिए स्वतंत्र भारत के संविधान में 'अनुसूचित जनजाति' शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्तमान जनगणना 2011 के अनुसार भारत में एस0टी0 की कुल जनसंख्या 104545716 है तथा उ0प्र0 में 1134273 है।

'जनजाति' की परिभाषा के सम्बन्ध में अभी भी मतैक्यता नहीं है तथापि रेमन्ड फर्थ ने कहा है कि ''जनजाति एक ही सांस्कृतिक शृंखला का मानव समूह है जो साधारणतः एक ही भूखण्ड पर रहता है, एक भाषा–भाषी है तथा एक ही प्रकार की परम्पराओं एवं संस्थाओं का पालन करता है और अपनी परम्परागत संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी है।''

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन् 1950 में भारतीय जनजातीय समुदायों की पहचान कर 212 जनजातीय समुदायों की सूची तैयार करने के पश्चात अनुसूचित जनजातीय आदेश 1950 में शामिल किया गया। इन सूचीबद्ध जनजातियों को ही 'अनुसूचित जनजाति' कहा जाता है।[1] उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों में पिछले कुछ दशक से सामाजिक–शैक्षिक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। 'सामाजिक परिवर्तन' उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय सम्बन्धों, व्यवहारों, प्रथाओं, संस्थाओं, मूल्यों, प्रस्थितियों, कार्यविधियों, सामाजिक संरचनाओं तथा प्रकार्यों में

होते हैं।[2] 'शैक्षिक परिवर्तन' वह परिवर्तन है जो शिक्षा के द्वारा होता है यह सा0 परिवर्तन का एक कारक है।

जनजातीय संगठन :–

डॉ0 मजूमदार के अनुसार ''जनजाति एक राजनैतिक इकाई इस अर्थ में है कि प्रत्येक जनजातीय समूह का एक राजनैतिक संगठन होता है।'' प्रत्येक जनजाति का बहुधा अपना एक वंशानुगत मुखिया, प्रधान या राजा होता है। प्रत्येक सदस्य मुखिया के प्रति आज्ञाकारी और निष्ठावान होता है।[3]

अनुसूचित जनजातियों की अनेक सामाजिक–शैक्षिक समस्याएँ रही हैं जिनके समाधान के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार तथा सरकारी संगठन एवं गैर–सरकारी संगठन द्वारा समय–समय पर प्रयास किया जाता रहा है।

उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियाँ :–

सन् 1967 से पूर्व उ0प्र0 में कोई ''अनुसूचित जनजाति'' नहीं थी। जून 1967 में पहली बार पाँच जनजातियों को ''अनुसूचित जनजाति'' घोषित किया गया था–

1. भोक्सा (बुक्सा), 2. थारू, 3. जौनसारी, 4. राजी, 5. भोटिया।

जब 'उत्तरांचल राज्य' बना तो केवल दो अनुसूचित जनजातियाँ थारू और बुक्सा ही उ0प्र0 में बची। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार थारू एवं बुक्सा की कुल जनसंख्या 78030 है। वर्ष 2003 में भारत सरकार ने उ0प्र0 में दस अन्य जातियों को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जो इस प्रकार है–

1. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, 2. खरवार, खैरवार, 3. सहरिया, 4. परहिया, 5. पंखा, पनिका, 6. बैगा, 7. अगरिया, 8. पठारी, 9. चेरो, 10. भुइया, भूइयाँ।

वर्तमान जनगणना 2011 के अनुसार उ0प्र0 में कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1134273 है जिसमें से 581083 पुरुष तथा 553190 महिलाएँ हैं। उ0प्र0 के कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में से 1031076 लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जबकि 103197 लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं।

अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक जीवन :–

इनकी अनोखी जीवन शैली, विशिष्ट वेशभूषा, उनकी अपनी बोली और भाषा, उनके रीति–रिवाज तथा नागरिक या ग्रामीण जीवन से अपने को पृथक बनाये रखने की प्रवृत्ति होती है। इनमें विवाह प्रथा बड़ी विचित्र है। कुछ जनजातियों में वधू प्राप्त करने के लिए वधू मूल्य देय है तो कुछ में वर पक्ष की ओर से किसी मध्यस्थ व्यक्ति द्वारा विवाह की बातचीत चलती है। पहले इनमें बदला अर्थात् बहनों के आदान–प्रदान की प्रथा थी किन्तु अब यह प्रथा कम होती जा रही है और अब तीन टिकठी प्रथा जोर पकड़ रही है। इसके साथ ही अब इनमें भी हिन्दुओं की तरह दहेज वर पक्ष को देने की प्रथा शुरू हो गई। इनमें संयुक्त परिवार पाया जाता है परन्तु अब यह टूटता हुआ नजर आ रहा है। जनजातियों के भिन्न–भिन्न कार्य भिन्न–भिन्न व्यक्ति के सुपुर्द होते हैं। जनजातियों में नातेदारी व्यवस्था हिन्दुओं से मिलती–जुलती है। करीबी नातेदारों में यौन–सम्बन्ध निषिद्ध है। उ0प्र0 के अधिकांश जनजातीय परिवार हिन्दू धर्म को मानते हैं, ईसाई व मुस्लिम धर्म मानने वालों की संख्या नगण्य है। इनका प्रमुख व्यवसाय व आय

का स्रोत कृषि है। इसके अतिरिक्त ये मछली पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, जंगल से प्राप्त लकड़ी, शहद, कन्दमूल फल आदि पर आश्रित रहते हैं।

उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातीयों की शैक्षिक स्थितिः—

स्वतन्त्रता के बाद सरकार द्वारा जनजातियों को मुख्यधारा में लाने के काफी प्रयास के बाद उनकी सामाजिक एवं शैक्षिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है किन्तु अभी अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। ये अभी भी अज्ञानता, अशिक्षा एवं वैज्ञानिक प्रगति के अभाव में पल—बढ़ रही हैं। जिसके कारण उन्हें अन्धविश्वासों, अवैज्ञानिक मान्यताओं, रूढ़ियों और कुसंस्कारों ने घेर रखा है।

उ0प्र0 में जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 1134273 है। इस जनसंख्या की साक्षरता दर 55.7 प्रतिशत है जो कि जनगणना 2001 के अनुसार 47.10 प्रतिशत थी। इनकी साक्षरता दर बढ़ी है फिर भी देश की कुल जनसंख्या की साक्षरता दर 73 प्रतिशत से कम है। इस तुलना से स्पष्ट है कि जनजातियों की शिक्षा हेतु कितना प्रयास अभी और किया जाना है।[4]

अध्ययन का उद्देश्य :—

1. उपलब्ध समाजशास्त्रीय साहित्य की समीक्षा करना।
2. उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों में होने वाले सामाजिक—शैक्षिक परिवर्तन के नए आयाम का अवलोकन करना।

शोध प्रविधि :—

प्रस्तुत शोध गुणात्मक सह विवरणात्मक प्रविधि का है। शोध अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के समंकों को संकलित करने के लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक पद्धति का उपयोग किया गया है।[5]

समंकों का स्रोत :—

प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों पर आधारित है। जिसका संकलन अवलोकन पद्धति, साक्षात्कार पद्धति द्वारा प्राथमिक समंकों के संकलन के लिए किया गया है। द्वितीयक समंकों के संकलन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया 2020—21 की वार्षिक रिपोर्ट, विभिन्न किताबें, जनजातीय विकास विभाग की रिपोर्ट, उ0प्र0 शासन समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट एवं जनजातियों से सम्बन्धित बनाए गए विभिन्न कानून का अवलोकन किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र :—

प्रस्तुत शोध पत्र का अध्ययन क्षेत्र भारत का उ0प्र0 राज्य है। उ0प्र0 के कई जिलों में अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं, जो कि सर्वाधिक सोनभद्र जिले में रहती है। उ0प्र0 के इन्हीं अनुसूचित जनजातियों का अध्ययन इस शोध पत्र में प्रस्तुत है।

उपलब्ध समाजशास्त्रीय साहित्य :—

जी0एल0 शर्मा ने अपनी पुस्तक 'सामाजिक मुद्दे' में बताया है कि संविधान की अनूसूची में जनजातियों को श्रेणीबद्ध किए जाने के कारण इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाता है।

प्रो0 एम0एल0 गुप्ता एवं डॉ0 डी0डी0 शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक ''समाजशास्त्र'' में बताया गया है कि अनुसूचित जनजातियाँ देश के पिछड़े एवं कमजोर वर्ग की श्रेणी में आती हैं। इस पुस्तक में इनकी प्रमुख समस्याओं, संवैधानिक प्रावधानों तथा सुझावों को बताया गया है।

मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, एनुअल रिपोर्ट 2020–21 से भारत की अनूसूचित जनजातियों की तथा उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक शैक्षिक स्थिति का पता चलता है। इस रिपोर्ट के अनुसार उ0प्र0 में एस0टी0 की साक्षरता दर 55.7 प्रतिशत है जो कि भारत की कुल जनसंख्या का साक्षरता दर 73 प्रतिशत से बहुत कम है।

वी0एन0 सिंह एवं जनमेजय सिंह ने अपनी पुस्तक ''भारत में सामाजिक आंदोलन' में बताया है कि वर्तमान संदर्भ में कोई भी जाति विशुद्ध स्वरूप में नहीं है इसलिए जनजाति की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। वास्तव में, जनजाति एक ऐसा समूह है जिसकी अपनी कुछ विशिष्ट विशेषतायें हैं और जो एक निश्चित स्थान पर निवास करते हैं। इनका अपना स्वायत्त शासन होता है। किन्तु विकासशील देशों में इनकी संस्कृति में अनेक तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं।[6]

उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण विभाग, 'अनुसूचित जनजाति' विकास का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक' लखनऊ 2006–2007 के द्वारा प्राप्त जानकारी का तुलना 2011 की जनगणना से प्राप्त जानकारी से करने पर उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–शैक्षिक परिवर्तन के बारे में पता चलता है।[7]

विभिन्न वेबसाइटों पर उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–शैक्षिक स्थिति के बारे में जानकारी दी गयी है। इनकी स्थिति जो पिछले कुछ दशक में बदली है उसके बारे में बताया गया है।

अवलोकन तथा साक्षात्कार द्वारा प्राप्त जानकारी से भी पता चला है कि वर्तमान में उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियाँ अपने सामाजिक–शैक्षिक स्थिति को परिवर्तन कर रही हैं जिसके लिए केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की योजना एवं कार्यक्रम तथा गैर–सरकारी संगठन प्रयासरत हैं किन्तु अपेक्षित परिवर्तन अभी भी नहीं हुए हैं।

उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों में सामाजिक–शैक्षिक परिवर्तन :–

उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक जीवन वर्तमान चकाचौंध की दुनिया से अछूती नहीं रही है। जिसके कारण उनकी अपनी पहचान संकट में पड़ गयी है। अब वे भी आधुनिक समाज की तरह जीवन जीने लगे हैं। अपने जनजातीय वेशभूषा को छोड़ते जा रहे हैं। ये जनजातियाँ अपने प्रमुख व्यवसाय कृषि, शिकार तथा जंगल से प्राप्त कंदमूल, शहद आदि को भी छोड़ते जा रहे हैं। जिसके कारण इनकी आजीविका भी संकट में पड़ती जा रही है। सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं से इन्हें लाभ भी हुआ है किन्तु अपेक्षित लक्ष्य प्रापत नहीं हो सका है।[8]

इनकी शैक्षिक स्थिति में भी परिवर्तन देखने को मिलता है।[9] इस परिवर्तन का नया आयाम सरकार द्वारा तथा स्वयं एस0टी0 द्वारा किया गया प्रयत्न है क्योंकि किसी नियम/कानून का क्रियान्वयन तभी सही से होगा जब उसमें साधारण जनता भागीदार बने, जागरूक बने। उ0प्र0 सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास हेतु कई कार्यक्रम चलाया जैसे–

- प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में खोले गये इनमें दोपहर की भोजन की व्यवस्था की गई।
- पुस्तकालय तथा छात्रावास की व्यवस्था की गई।
- प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा शुल्क समाप्त कर दिया गया।
- व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र भी खोले गये।
- मेधावी छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति देनी शुरू की गई।

उ0प्र0 सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों/योजना से एस0टी0 की शैक्षिक स्थिति में जो परिवर्तन हुए वे निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाएगा–[10]

उ0प्र0 में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर

वर्ष	साक्षरता दर
1991	20.45 प्रतिशत
2001	35.1 प्रतिशत
2011	55.7 प्रतिशत

निष्कर्ष :–

उपर्युक्त में दी गयी जानकारी से स्पष्ट होता है कि उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों में सामाजिक शैक्षिक परिवर्तन के नए आयाम देखने को मिले हैं जो कुछ सकारात्मक तथा कुछ नकारात्मक भी रहे हैं। इनके नकारात्मक परिवर्तन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उनकी भूमिगत आवश्यकताओं को बारीकी से समझ कर कोई भी योजना बनाना चाहिए जिससे उनकी धरोहर/सांस्कृतिक पहचान बनी रहे तथा उन्हें घर एवं रोजगार प्राप्त हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. शर्मा, जी0एल0, सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2015, पृ0सं0 36–43.
2. सिंह, वी0एन0; सिंह, जनमेजय, भारत में सामाजिक आंदोलन, रावत पब्लिकेशन, 2005, जयपुर, पृ0सं0 140–141.
3. गुप्ता, प्रो0 एम0एल0; शर्मा, डॉ0 डी0डी0, समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृ0सं0 429–443, 575.
4. विभिन्न वेबसाइटों से प्राप्त जानकारी
5. ग्राम–चिंगोरी (जिला–सोनभद्र, उ0प्र0) के बित्तन से प्राप्त जानकारी
6. ग्राम–गौरवाँ (जिला–सोनभद्र, उ0प्र0) के शिव नरायन गोंड से प्राप्त जानकारी।
7. Ministry of tribal Affairs, Governemnt of India, Annual Report 2020-21. Page - 142, 145, 149
8. मुखर्जी, रवीन्द्रनाथ, 'भारतीय सामाजिक संस्थाएँ', सरस्वती सदन, मसूरी, 1964, पृ0सं0 557
9. उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण विभाग, ''अनुसूचित जनजाति विकास का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक', लखनऊ, 2006–2007, पृ0सं0 1.
10. ओझा सीमा, जय सिंह एवं फरहत परवीन, 'भारत 2008' प्रकाशन विभाग– सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, 2009, पृ0सं0 1024–1025